2013-14
ANNUAL REPORT

इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिज़र्वस् लिमिटेड
(ओ.आई.डी.बी. की पूर्ण स्वामित्व की सहायक कम्पनी)
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार

Indian Strategic Petroleum Reserves Limited
(A wholly owned subsidiary of OIDB)
Ministry of Petroleum & Natural Gas, Govt. of India

Head Office : OIDB Bhawan, 3rd Floor, Plot No.2, Sector - 73, Noida - 201 301 (U.P.) India
Registered Office : 301, World Trade Centre, 3rd Floor, Babar Road, New Delhi - 110 001

GAC/ISPRL/13-14

Board of Directors

As of 31st March, 2014

Shri Saurabh Chandra
Chairman

Shri Rajive Kumar
Director

Dr. Subhas Chandra Khuntia
Director

Shri L. N. Gupta
Director

Rajesh Kumar Singh
Director

Rajan K. Pillai
CEO & MD

Shri Saurabh Chandra, Petroleum Secretary, MoP&NG inaugurating the 10th Foundation Day of ISPRL by Lighting the Lamp

Photograph of 10th Foundation Day Celebration

Group Photo on the occasion of inauguration of Administrative Building at Padur by Shri Rajive Kumar Addl. Secretary, MoP&NG

Safety Award distribution at Padur site by Dy. CEO-ISPRL

Swachh Bharat Abhiyan oath taking by ISPRL employees

Swatchh Bharat Abhiyan - Mission in Action

विषय सूची
CONTENTS

1.	निदेशक मंडल **Board of Directors**	02 32
2.	निदेशक रिपोर्ट **Directors' Report**	04 34
3.	लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट **Auditors' Report**	10 40
4.	वार्षिक लेखे 2013-14 **Annual Accounts 2013-14**	14 44

निदेशक मंडल

दिनांक 31.03.2014 को

श्री सौरभ चन्द्र	अध्यक्ष	07 मार्च, 2014 से
श्री राजीव कुमार	निदेशक	17 जून, 2013 से
डा0 सुभाश चन्द्र खुंटिआ	निदेशक	09 अगस्त, 2012 से
श्री एल. एन. गुप्ता	निदेशक	17 जून, 2013 से
श्री आर. के. सिंह	निदेशक	15 जुलाई, 2013 से
श्री राजन के. पिल्लै	मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक	25 फरवरी, 2014 से

मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक
श्री राजन के. पिल्लै

कंपनी सचिव
श्रीमती भाव्या गुप्ता

सांविधिक लेखा परीक्षक
मैसर्स जे डी ए एण्ड कंपनी,
चार्टर्ड एकाउंटेन्ट्स
904 एण्ड 906, शाहपुरी तीर्थ सिंह टॉवर, सी – 58,
कम्युनिटी सेंटर, जनकपुरी, नई दिल्ली-110 058

बैंकर्स

कार्पोरेशन बैंक
एम–41, कनॉट सर्कस,
नई दिल्ली–110 001

पंजीकृत कार्यालय
301, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, तृतीय तल, बाबर रोड़, नई दिल्ली–110 001

प्रशासनिक कार्यालय
ओ.आई.डी.बी. भवन, तीसरी मंजिल, प्लॉट न. 2, सैक्टर – 73, नोएडा– 201301, उ. प्र.
फोन : 91–120–2594641, फैक्स : 91–120–2594643
वेब साईट : www.isprlindia.com
ई–मेल : isprl@isprlindia.com

विशाखापटनम् परियोजना कार्यालय
लोवागार्डन, एच.एस.एल. फैब्रिकेशन यार्ड के पीछे,
गाँधीग्राम पोस्ट, विशाखापटनम्–530 005
फोन : 0891-2574059

मंगलौर परियोजना कार्यालय
स्ट्रेटेजिक स्टोरेज ऑफ क्रुड आयॅल प्रोजेक्ट,
चन्द्राहास नगर, परमुडे पी.ओ, मंगलौर–574 509
फोन : 0824-6066100

पादुर परियोजना कार्यालय :
पीओ : पादुर, वाया कापू, जनपद उडुपी–574 106
कर्नाटक
फोन : 0820-6560005

निदेशक रिपोर्ट

सेवा में,

शेयर धारक,
इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्वस लिमिटेड

आपकी कंपनी का निदेशक मंडल कंपनी की कार्यप्रणाली पर 31 मार्च, 2014 को समाप्त वित्तीय वर्ष की 10वीं वार्षिक रिपोर्ट, संपरीक्षित लेखा विवरण तथा उस पर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट सहित, सहर्ष प्रस्तुत कर रहा है।

वित्तीय परिणाम

31 मार्च, 2014 को समाप्त वित्तीय वर्ष के आपकी कंपनी के वित्तीय नतीजों की मुख्य विशेषताएं नीचे दर्शायी गई हैं :

क्र.सं.	विवरण	रूपयों में आंकड़े		वित्तीय विवरणों के संदर्भ में
(क)	1 अप्रैल 2013 को कार्य में प्रगति का प्रारंभिक शेष		22,912,639,804	**नोट 9 बी (i) -** 31.03.2013 का अंतिम शेष
(ख)	वर्ष के दौरान स्थानांतरण से शुद्ध पूर्व प्रचालन व्यय {(i) - (ii)} :			**नोट 9 बी (i) -** 31.03.2014 के अंतिम शेष और 31.03.2013 के अंतिम शेष के बीच अंतर
	(i) वर्ष के दौरान पूर्व प्रचालन व्यय	5,768,335,461		
	(ii) स्थानांतरण	116,940,104	**5,651,395,357**	
(ग)	स्थायी परिसंपत्तियों में वृद्धि		**768,734**	**नोट 9 ए -** वर्ष के दौरान निवल वृद्धि
(घ)	निवल गैर मौजूदा परिसंपत्तियां {(i)- (ii)}			
	(i) गैर मौजूदा परिसंपत्तिया (दीर्घकालिक ऋण एवं अग्रिम)	551,146,045		**नोट 10**
	(ii) गैर - मौजूदा देयताएं	2,090,021,516	**(1,538,875,471)**	**नोट 5**
(ङ)	निवल मौजूदा परिसंपत्तियां {(i)- (ii)}			
	(i) वर्तमान परिसंपत्तियां	437,226,139		**तुलन पत्र -** वर्तमान परिसंपत्तियां
	(ii) वर्तमान देयताएं	381,001,522	**56,224,617**	**तुलन पत्र -** वर्तमान देयताएं
(च)	संचित हानि		**(255,435,088)**	**नोट 4 -** भंडार और अधिशेष
कुल व्यय (क+ख+ग+घ+ङ+च)			**26,826,717,953**	

कार्य निष्पादन का संक्षिप्त विवरण

आपकी कंपनी को 5.33 एम.एम.टी. के कार्यनीतिक कच्चे तेल के भंडारण की स्थापना करने का आदेश हुआ है (इसमे हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड से सहभाजित होने वाली 0.30 एम.एम.टी. भी शामिल है)। कार्यनीतिक रिज़र्वस के निर्माण हेतु चुने गए स्थान विशाखापट्टनम (1.33 एमएमटी), मंगलौर (1.5 एमएमटी) तथा पादुर (2.5 एमएमटी) हैं। सितंबर 2005 के मूल्यानुसार कार्यनीतिक भंडारण सुविधाओं के निर्माण की पूंजीगत लागत मूल रूप से 2,397 करोड़ रुपये आंकी गई थी। विशाखापट्टनम के संशोधित लागत अनुमान (आरसीई) का अनुमोदन जून, 2011 में प्राप्त कर लिया था। मंगलौर और पादुर के लिए आरसीई का अनुमोदन नवम्बर, 2013 में हुआ था। तीनों स्थलों की आरसीई इस प्रकार है : विशाखापट्टनम – रूपये 1,038 करोड़, मंगलौर – रूपये 1,227 करोड़ और पादुर – रूपये 1,693 करोड़। भारत सारकार द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार,

पूंजीगत लागत ओआईडीबी के पास मौजूदा धन में से पूरी की जाएगी सिवाय विशाखापट्टनम में 0.3 एमएमटी के एक विभाग के लिए जिसकी पूंजीगत लागत, अनुपातिक लागत साझेदारी के आधार पर हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा पूरी की जाएगी। यह भी निर्णय लिया गया कि स्ट्रेटेजिक भंडारणों के संचालन और रखरखाव की लागत का खर्चा भारत सरकार देगी। भारत सरकार के योजना आयोग ने कच्चा तेल भरने के लिए रूपये 4,948 करोड़ बाहरवीं पंच वर्षीय योजना 2012–17 में आवंटित किये हैं।

आपकी कंपनी ने अपने उद्देश्यों को आगे बढ़ाने में अनेक कदम उठाए हैं और परियोजनाओं की स्थिति निम्न प्रकार है :

1. विशाखापट्टनम (भंडारण क्षमता : 1.33 एमएमटी)

इंजिनियर्स इंडिया लिमिटेड (ईआईएल) को परियोजना प्रबंधन सलाहाकार (पीएमसी) के रुप में नियुक्त किया गया है। परियोजना के लिए आवश्यक 67 एकड़ भूमि में से 37 एकड़ भूमि विशाखापट्टनम पोर्ट ट्रस्ट से पट्टे पर ले ली गई है तथा शेष 30 एकड़ भूमि के लिए पूर्वी नौसेना कमांड के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए हैं। वैधानिक निर्बाधताएं प्राप्त कर ली गई हैं। अनुपूरक स्थल जांच पड़ताल के बाद, अतिरिक्त क्षमता की कम सीमांत लागत का लाभ उठाने के लिए कैवर्न की क्षमता 1.33 एमएमटी तक बढ़ा दी गई है और सरकार ने इसका अनुमोदन दे दिया है।

भूमिगत कार्य मैसर्ज हिन्दुस्तान कंस्ट्रक्शटन कंपनी द्वारा किया जा रहा है। 31 मार्च, 2014 तक, सभी भूमिगत उत्खनन तथा सभी फर्श कार्य पूरे हो गए हैं। इस में गुफा ए1 में मरम्मत और सुधार का काम शामिल है जहां अप्रैल, 2011 में एक रॉक स्लाइड घटना हुई थी। उसके बाद गुफा ए को अबोव ग्राउंड ठेकेदार को अपने हिस्से के कार्य के लिए सौंप दिया गया। भूतल से ऊपर की भूमि से संबंधित कार्य मैसर्ज आईओटीआईईएसएल द्वारा किया जा रहा है। 31 मार्च, 2014 तक, सभी प्रमुख कार्य, सिवाय गुफा ए की शाफ्ट के कार्य को छोड़कर, पूरे हो गए हैं। पूर्व कमीशनिंग गतिविधियां प्रणालीबद्ध तरीके से शुरू हो चुकी हैं। दिनांक 31 मार्च, 2014 को परियोजना की कुल प्रगति 95.1 प्रतिशत थी। अप्रैल, 2011 में कैवर्न ए1 में एक चट्टान की पहाड़ी गिरने की घटना से कार्य के पूरा करने के कार्यक्रम पर प्रतिकूल असर पड़ा अब तक हुई प्रगति के आधार पर मैकेनिकल कम्पलीशन की प्रत्याशित तिथि 30, सितम्बर 2014 है।

विशाखापट्टनम में भूमि से ऊपर की सुविधाओं का परिदृश्य

2. मंगलौर (भंडारण क्षमता : 1.5 एमएमटी)

ईआईएल को परियोजना प्रबंधन सलाहकार के रुप में नियुक्त किया गया था। मंगलौर कैवर्न के लिए चिन्हित भूमि मंगलौर एसईजैड क्षेत्र के अंतर्गत आती है और 104.73 एकड़ भूमि मंगलौर स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड (MSEZL) से अधिग्रहण कर ली गई है। वैधानिक मंजूरी प्राप्त कर ली गई है।

भूमिगत सिविल कार्य मैसर्स एस के इंजिनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन और करम चंद थापर के संयुक्त उद्यम (एसकेईसी–केसीटी जेवी) के माध्यम से किया जा रहा है। भूमि के ऊपरी कार्य मैसर्स पुंज लायड को दिये गए। 31 मार्च, 2014 तक, खुदाई तथा फर्श

बनाने का कार्य सम्पूर्ण हो गया था। अबोव ग्राउंड ठेकेदार ने कैवर्न बी की भूमिगत पाइपिंग और शाफ्ट ए की सम्पूर्ण पाइपिंग का कार्य पूर्ण कर लिया है। प्रशासनिक भवन का कार्य पूरा हो गया है और नियंत्रण कक्ष एवं उपस्टेशन भवनो का कार्य पूरा होने के उन्नत चरण में है। नाईट्रोजन टेंक, बॉयलर स्थापित कर दिये गये हैं। 31.03.2014 तक परियोजना की कुल प्रगति 89.8 प्रतिशत रही। अबोव ग्राउंड ठेकेदार के कार्य की प्रगति के आधार पर, प्रोजेक्ट का मैकेनिकल कम्पलिशन 31, अक्टूबर 2014 में प्रत्याशित है। परियोजना की अंतिम कमिशनिंग मंगलौर बंदरगाह के समीप लैंड फॉल प्वाइंट से एक वाल्व स्टेशन के माध्यम द्वारा मंगलौर कैवर्न तक बिछाई जाने वाली पापलाइन पर निर्भर है। इस पाइपलाइन को बिछाने का कार्य आदेश जुलाई 2014 में जारी कर दिया गया है। कमिशनिंग 31, अक्टूबर 2015 तक पूरा किया जाना निर्धारित है।

मंगलौर स्थित चार कैवर्न गैलरियों में से एक का परिदृश्य

3. पादुर (भंडारण क्षमता : 2.5 एमएमटी)

ईआईएल को परियोजना प्रबंधन सलाहकार के रुप में नियुक्त किया गया था। उडूपी जिले के पादुर/हेरुरु गांवों में कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड (केआईएडीबी) के माध्यम से 179.21 एकड़ भूमि अधिग्रहण की जा रही है। जिसमें से 138.57 एकड़ भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया है और शेष 40.6 एकड़ सरकारी भूमि का अधिग्रहण प्रक्रिया में है।

भूमिगत सिविल कार्य को दो भागों अर्थात भाग ए व भाग बी में बांटा गया। भाग ए का कार्य मैसर्ज एचसीसी को तथा भाग बी का काम मैसर्ज एसकेईसी–केसीटी जेवी को दिनांक 29.12.2009 को दिया गया था। निर्माण गतिविधियां प्रारंभ करने की शून्य तिथि 29.05.2010 थी। चूंकि, इस तिथि पर केआईएडीबी द्वारा भूमि आईएसपीआरएल को सौंपी गई थी। 31 मार्च, 2014 तक भाग ए एवं भाग बी का संपूर्ण खुदाई कार्य, कैवर्न के अन्दर की भूमिगत पाइपिंग व फर्श बिछाने के कार्य के साथ पूरा किया गया। भूमि के ऊपर के कार्य को मैसर्ज लिंडे इंजिनियरिंग को दिनांक 11.11.2011 को दिया गया। प्रशासनिक भवन, नियंत्रण कक्ष, उपस्टेशन तथा दमकल स्टेशन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। 31.03.2014 तक परियोजना की कुल प्रगति 93.3 प्रतिशत रही। ठेकेदार की प्रगति के आधार पर, मैकेनिकल कम्पलिशन की प्रत्याशित तिथि 30 सितम्बर 2014 है। परियोजना का अंतिम रूप से समापन, लैंड फॉल प्वाइंट से एक वाल्व स्टेशन के माध्यम द्वारा पादुर कैवर्न तक बिछाई जाने वाली पाइपलाइन जिसका कार्य आदेश जुलाई 2014 में दे दिया गया था, पर निर्भर है। कमिशनिंग 15 महीनों में 31 अक्टूबर 2015 तक पूरा किया जाना निर्धारित है।

मंगलौर–पादुर पाइपलाइन के प्रयोग के अधिकार (आरओयू) अर्जन हेतु, केआईएडीबी के विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी (एसएलएओ) को भूमि अधिग्रहण अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है। आर ओयू का अर्जन केआईडीबी द्वारा किया जा रहा है और पेट्रोलियम और खनिज पाईपलाइन (भूमि मे उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 की धारा 3(1) के अधीन अधिसूचना जनवरी, 2011 में जारी कर दी गई है। आरओयू के लिए उक्त अधिनियम की धारा 6(1) के अधीन, पूरे क्षेत्र के लिए (36 कि. मी.) उडूपी ज़िले के केवल एक गांव को छोड़कर, घोषणा भी जारी कर दी गई है। गांववासी संर्वेक्षण और संयुक्त माप

की अनुमती नही दे रहे हैं और उच्च मुआवजे की मांग कर रहें हैं। मामला स्थानीय प्रशासन की भागीदारी के माध्यम से हल किया जा रहा है।

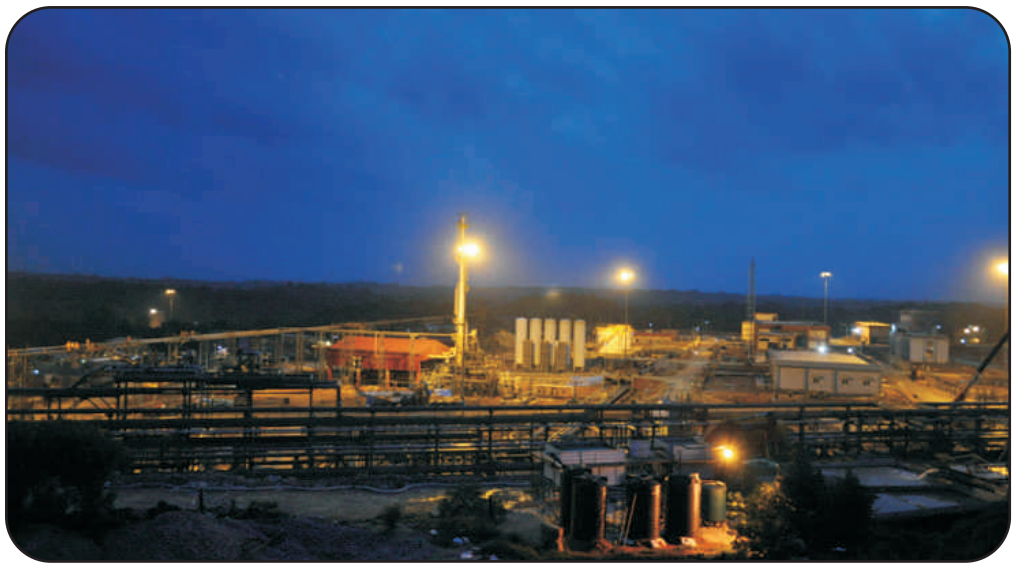

पादुर में भूमि से ऊपर की सुविधाओं का परिदृश्य

4. स्ट्रेटेजिक भंडारण कार्यक्रम का चरण – II

जुलाई, 2011 में स्ट्रेटेजिक भंडारण कार्यक्रम के चरण – II के लिए विस्तृत संभाव्यता रिपोर्ट (डीएफआर) की तैयारी का कार्य ईआईएल को दिया गया था। पूर्वसंभाव्यता स्तर के आधार पर चार साइटों का पता लगाया गया जो निम्न प्रकार हैः

(i) पादुर 5 एमएमटी (भूमिगत रॉक कैवर्नस)

(ii) चंडीखोल 2.5 एमएमटी (भूमिगत रॉक कैवर्नस)

(iii) बीकानेर 2.5 एमएमटी (सॉल्ट लीचड कैवर्नस)

(iv) राजकोट 2.5 एमएमटी (भूमिगत कन्क्रीट टेंकस)

ईआईएल ने चारों साइटों के लिए डीएफआर प्रस्तुत कर दी है। पादुर स्थित गांववासियों द्वारा प्रतिरोध करने के उपरांत डीएफआर की क्षमताओं को संशोधित किया गया था। स्थानों पर प्रस्तावित क्षमता निम्नानुसार हैः

(i) पादुर – 2.5 एमएमटी (भूमिगत रॉक कैवर्नस)

(ii) चंडीखोल – 3.75 एमएमटी (भूमिगत रॉक कैवर्नस)

(iii) बीकानेर – 3.75 एमएमटी (साल्ट लीचड कैवर्नस)

(iv) राजकोट – 2.5 एमएमटी (भूमिगत कन्क्रीट टैंक्स)

प्रस्तावित सॉल्ट लीचड कैवर्नस राजस्थान के बीकानेर क्षेत्र मे उपलब्ध नमक की मोटी परतों मे बनाया जाना प्रस्तावित है। राजकोट में प्रस्तावित भूमिगत ठोस टेंक के लिए डबल रोकथाम सिद्धांत का उपयोग किया जाएगा। भंडार के दोनो प्रकार देश में पहली बार के लिए लागू किये जाएगें। सॉल्ट लीचड कैवर्न संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, जैसे देशों द्वारा सफलता के साथ इस्तेमाल किये जा रहे हैं। भूमिगत ठोस टैंक सफलता पूर्वक दक्षिण अफ्रिका के गणराज्य में इस्तेमाल किये जा रहें हैं। तकनीकी जानकारी भूमिगत रॉक कैवर्न के लिए उपलब्ध है, जबकि अन्य दो प्रौधोगिकियों यानि सॉल्ट लीचड कैवर्न और भूमिगत ठोस टेंक, के संबंध में इनके नये होने के कारण इनका अपेक्षित ज्ञान देश के भीतर उपलब्ध नहीं है। इसलिए विदेशी बैकअप सलाहकारों की सेवाएं लेने की जरूरत है।

लाभांश

आपके निदेशक मंडल ने 31 मार्च, 2014 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए किसी भी लाभांश की सिफारिश नहीं की है।

सार्वजनिक जमा

अधीनियम की धारा 58ए के प्रावधानों के सदंर्भ में कम्पनीज (अक्सेप्टन्स ऑफ डिपॉजिट रूल्स), 1975 के साथ पठित, आपकी कम्पनी ने कोई भी सार्वजनिक डिपॉजिट नहीं किया है, अतः बैलेंस शीट की तारीख पर प्रिंसिपल (मूल) या ब्याज की कोई राशि बकाया नहीं थी।

लेखा परीक्षा समिति

लेखा परीक्षा समिति में निम्न तीन गैर कार्यकारी निदेशक शामिल हैं :

(i) श्री राजीव कुमार, अतिरिक्त सचिव, एमओपी एंड एनजी – अध्यक्ष

(ii) श्री एल. एन. गुप्ता, सचिव, ओआईडीबी – सदस्य

(iii) श्री आर. के. सिंह, संयुक्त सचिव (आर), एमओपी एंड एनजी – सदस्य

परिश्रमिक समिति

परिश्रमिक समिति जिसमें तीन गैर–कार्यकारी निदेशक शामिल हैं अर्थात,

(i) डॉ. एस. सी. खुंटिआ, अतिरिक्त सचिव एवं वित्तिय सलाहकार, एमओपीएण्डजी – अध्यक्ष

(ii) श्री एल. एन. गुप्ता, सचिव, ओआईडीबी – सदस्य

(iii) श्री आर. के. सिंह, संयुक्त सचिव (आर), एमओपी एंड एनजी – सदस्य

लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सी एंड ए जी) ने मैसर्ज जे डी ए एंड कं., चार्टेर्ड एकाउटेंट्स, नई दिल्ली को कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किया है जिन्होने 31 मार्च, 2014 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के खातों पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है।

31 मार्च, 2014 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी की वित्तीय विवरणियों के कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(3) (बी) के अधीन किए गए अनुपूरक लेखा परीक्षा के आधार पर, सीएंडएजी को उसकी जानकारी में ऐसा कोई महत्वपूर्ण तथ्य नहीं आया है जो किसी टिप्पणी या कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के तहत सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर किसी अनुपूरक का कारण बने।

ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्ययोगिकी आमेलन तथा विदेशी मुद्रा अर्जन और खर्च

चूंकि कंपनी ने अभी तक कार्य प्रारंभ नहीं किया है, अतः कंपनी के पास ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्ययोगिकी आमेलन से संबंधित प्रकाशन हेतु कोई सूचना नहीं है।

वर्ष के अधीन कंपनी को कोई विदेशी मुद्रा अर्जन नहीं हुआ है। तथापि इसने समीक्षाधीन अवधि के दौरान कुल मिलाकर 946.06 लाख रूपये की विदेशी मुद्रा अपनी व्यापार गतिविधियों के लिए इस्तेमाल की है।

कर्मचारियों का विवरण

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 (2ए) के अधीन कंपनी का कोई कर्मचारी नहीं है जिसके लिए विवरणी प्रस्तुत की जानी अपेक्षित हो।

निदेशकों के उत्तरदायित्व का उल्लेख

निदेशकों के उत्तरदायित्व विवरण से संबंधित कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 (2एए) के अनुसरण में, यह एतद् द्वारा पुष्टि की जाती है कि :

(i) 31 मार्च, 2014 को समाप्त वित्तीय वर्ष के वार्षिक लेखों को बनाते हुए लेखों के लिए निर्धारित लेखा मानकों का अनुसरण किया गया है;

(ii) निदेशकों ने ऐसी लेखा नीतियों को चुना तथा उन्हें अनवरत लागू किया और ऐसे निर्णय लिए व अनुमान लगाए जो तर्कसंगत एवं न्यायसंगत थे ताकि वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी की कार्य प्रणाली पर एक सत्य व स्पष्ट अवलोकन प्रस्तुत हो;

(iii) निदेशकों ने कंपनी की परिसंपत्तियों की रक्षा के लिए तथा धोखाधड़ी व अन्य अनियमितताओं को रोकने एवं ढूंढने के लिए कंपनी अधिनियम 1956 के प्रावधानों के अनुसार उचित व पर्याप्त सावधानी बरती है;

(iv) निदेशकों ने 31 मार्च, 2014 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लेखे 'गोइंग कंर्सन' के आधार पर तैयार किए हैं।

निदेशक मंडल

आपके निदेशक मंडल में वर्तमान में 5 अंश कालिक गैर–कार्यपालक निदेशक (पदेन) और एक पूर्णकालिक सीईओ एवं प्रबंध निदेशक हैं जो इस प्रकार हैं:–

(i) श्री सौरभ चन्द्र, सचिव, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एमओपीएंडएनजी) – अध्यक्ष (डी आई एन 02726077)

(ii) श्री राजीव कुमार, अतिरिक्त सचिव, एमओपी एंड एनजी – निदेशक (डी आई एन 06620110)

(iii) डा. एस. सी. खुंटिआ, अतिरिक्त सचिव व वित्तीय सलाहकार, (एमओपीएंडएनजी) – निदेशक (डी आई एन 05344972)

(iv) श्री एल. एन. गुप्ता, सचिव, ओआईडीबी – निदेशक (डी आई एन 01872190)

(v) श्री राजेश कुमार सिंह, संयुक्त सचिव (आर), (एमओपीएंडएनजी) – निदेशक (डी आई एन 05193269)

(vi) श्री राजन के. पिल्लै, मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक – (डी आई एन 06799503)

1 अप्रैल 2013 से कंपनी के निदेशकों में निम्नानुसार बदलाव हुआ है :

(i) श्री एल. एन. गुप्ता, सचिव (17.06.2013 से नियुक्त)

(ii) श्री राजीव कुमार, निदेशक (17.06.2013 से नियुक्त)

(iii) श्री राजेश कुमार सिंह,निदेशक (15.07.2013 से नियुक्त)

(iv) श्री राजन के. पिल्लै, सीईओ एवं एमडी (25.02.2014 से नियुक्त)

(v) श्री सौरभ चन्द्र, अध्यक्ष (07.03.2014 से नियुक्त)

(vi) श्री सुधीर भार्गव, निदेशक (03.06.2013 तक रहे)(डीआईएन 00247515)

(vii) श्री एल. एन. गुप्ता, सचिव (पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय से सयुंक्त सचिव (आर) की पदवी से मुक्त होने की वजह से 05.06.2013 तक रहे)

(viii) श्री वी.एल.वी.एस.एस. सुब्बा राव, निदेशक (07.03.2013 से 09.06.2013 तक नियुक्त)

(ix) श्री विवेक रे, अध्यक्ष (28.02.2014 तक रहे)(डीआईएन 01866765)

अभिस्वीकृति

आपका निदेशक मंडल, भारत सरकार, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा ओआईडीबी से महत्वपूर्ण मार्गदर्शन तथा समर्थन के लिए धन्यवाद देता है।

बोर्ड के लिए तथा बोर्ड की ओर से

ह0/–
(आर. के. सिंह)
निदेशक
(डिन 05193269)

ह0/–
(राजन के. पिल्लै)
सीईओ एवं एमडी
(डिन 06799503)

दिनांक : 05.09.2014
स्थान : नई दिल्ली

लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्वस लिमिटेड के सदस्यों को

वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

हमने इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिज़र्व्स लिमिटेड ("कम्पनी") के संलग्न वित्तीय विवरणों का लेखापरीक्षण किया है, जिसमें 31 मार्च, 2014 को तुलनपत्र, लाभ एवं हानि का विवरण तथा समाप्त वर्ष हेतु नकदी प्रवाह विवरण और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश और अन्य व्याख्यात्मक सूचना सम्मिलित हैं।

वित्तीय विवरणों के विषय में प्रबंधन का दायित्व

इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने का दायित्व प्रबंधन का है, जो कम्पनी अधिनियम, 1956 ("अधिनियम") की धारा 211 की उप–धारा (3ग) के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के संबंध में कारपोरेट मंत्रालय के सामान्य सर्कुलर 15/2013 दिनांकित 13 सितम्बर, 2013 में संदर्भित लेखांकन मानकों के अनुसार कम्पनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय कार्यप्रदर्शन तथा नकदी प्रवाह का सही और निष्पक्ष दृश्य प्रस्तुत करते हैं। इस दायित्व में ऐसे वित्तीय विवरणों के तैयार और प्रस्तुत करने से संबद्ध डिजाइन, कार्यान्वयन और आंतरिक नियंत्रण का अनुरक्षण सम्मिलित है, जो सही और निष्पक्ष दृश्य प्रस्तुत करते हैं तथा कपट अथवा त्रुटि के कारण, महत्वपूर्ण मिथ्याकथन से मुक्त हैं।

लेखापरीक्षक का दायित्व

हमारा दायित्व अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों के बारे में अपना अभिमत व्यक्त करना है। हमने अपनी लेखापरीक्षा, इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउन्टैंट्स ऑफ इंडिया द्वारा लेखांकन के संबंध में जारी मानदंडों के अनुसार, संचालित की है। उन मानदंडों में अपेक्षा की जाती है कि हम नैतिक अपेक्षाओं का अनुपालन करें तथा अपनी लेखापरीक्षा की योजना और निष्पादन यह तर्कसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए करें कि क्या ये वित्तीय विवरण महत्वपूर्ण मिथ्याकथन से मुक्त हैं।

लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणों में राशियों तथा प्रकटीकरणों के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने हेतु प्रक्रियाओं का निष्पादन सम्मिलित है। प्रक्रियाओं का चयन, लेखापरीक्षक के आकलन पर निर्भर होता है, जिसमें कपट अथवा त्रुटि के कारण, महत्वपूर्ण मिथ्याकथन की जोखिम का आकलन सम्मिलित है। उन जोखिमों के आकलन में, लेखापरीक्षक वित्तीय विवरणों के तैयार और प्रस्तुत करने हेतु प्रासंगिक आंतरिक नियंत्रण पर विचार करता है, ताकि ऐसी लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं डिजाइन की जा सकें, जो परिस्थितियों के लिए उपयुक्त हैं, परंतु संस्था के आंतरिक नियंत्रण की प्रभावशीलता के बारे में राय अभिव्यक्त करने के प्रयोजन हेतु उपयुक्त नहीं है। लेखापरीक्षा में, प्रबंधन द्वारा प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता तथा लेखांकन अनुमानों की तर्कसंगतता का मूल्यांकन और वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति का मूल्यांकन भी सम्मिलित है।

हमें विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा साक्ष्य हमारे लेखापरीक्षा अभिमत हेतु पर्याप्त और उपयुक्त आधार प्रदान करते हैं।

अभिमत

हमारे मतानुसार तथा हमारी सर्वश्रेष्ठ जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, ये वित्तीय विवरण, अधिनियम द्वारा अपेक्षित सूचना, अपेक्षित विधि में, देते हैं तथा भारत में साधारणतः स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप निम्नलिखित की एक सही और निष्पक्ष तस्वीर प्रस्तुत करते हैं :

क) तुलनपत्र के मामले में, 31 मार्च, 2014 को कम्पनी के कार्यों की स्थिति की ;

ख) लाभ और हानि के विवरण के मामले में, उस तिथि को समाप्त वर्ष हेतु हानि की ; और

ग) नकदी प्रवाह के मामले में, उस तिथि को समाप्त वर्ष हेतु नकदी प्रवाह की।

अन्य कानूनी तथा नियामक अपेक्षाओं के संबंध में रिपोर्ट

1. जैसाकि भारत सरकार द्वारा जारी कम्पनीज (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2003, यथा संशोधित, द्वारा अपेक्षित है,

अधिनियम की धारा 227 की उप–धारा (4क) के निबंधनों में, हम आदेश के पैरा 4 और 5 में विनिर्दिष्ट मामलों के संबंध में एक विवरण परिशिष्ट में दे रहे हैं।

2. जैसाकि अधिनियम की धारा 227(3) द्वारा अपेक्षित है, हम रिपोर्ट करते हैं कि :

क. हमने सभी सूचना तथा स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं, जो हमारे सर्वश्रेष्ठ ज्ञान और विश्वास के अनुसार, हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजन हेतु आवश्यक थे ;

ख. हमारे मतानुसार लेखा की कम्पनी द्वारा समुचित बहियां रखी गई हैं, जैसाकि कानून द्वारा अपेक्षित है, जहां तक हमारे द्वारा उन बहियों की जांच से प्रतीत होता है ;

ग. इस रिपोर्ट द्वारा निपटाए गए तुलनपत्र, लाभ एवं हानि का विवरण तथा नकदी प्रवाह विवरण लेखा बहियों के अनुरूप हैं ;

घ. हमारे मतानुसार तुलनपत्र, लाभ एवं हानि का विवरण तथा नकदी प्रवाह विवरण लेखा मानकों का अनुपालन करते हैं जैसाकि कम्पनी अधिनियम, 1956 ("अधिनियम") की धारा 211 की उप–धारा (3ग) के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के संबंध में कारपोरेट मंत्रालय के सामान्य सर्कुलर 15/2013 दिनांकित 13 सितम्बर, 2013 में संदर्भित है, लेखांकन मानक–15 द्वारा अपेक्षितानुसार सेवानिवृत्ति लाभ का प्रावधान नहीं किए जाने को छोड़कर, इस तथ्य के दृष्टिगत कि कम्पनी का कार्य वर्तमान में प्रतिनियुक्तियों द्वारा संचालित किया जाता है, (देखें नोट सं. 14.13), प्रावधान नहीं किए जाने का प्रभाव, अभिनिश्चित नहीं किया गया है ;

ङ. सरकारी कम्पनी होने के नाते, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना सं. जीएसआर 829(ङ) दिनांकित 21.10.2013 के अनुसरण में, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 274 की उप–धारा (1) के क्लॉज (छ) के प्रावधान, कम्पनी पर लागू नहीं हैं ;

कृते जे डी ए एंड कंपनी
(चार्टर्ड एकाउंटेंट्स)
एफआरएनः 015377 एन

ह0/–
सी ए नितिन अग्रवाल
(साझेदार)
एम नं. 506909

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 13 अगस्त, 2014

लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के संदर्भ में अनुलग्नक

हमारी रिपोर्ट में इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिज़र्व्स लिमिटेड ("कम्पनी") के सदस्यों के लिए 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष हेतु संदर्भित परिशिष्ट। हम रिपोर्ट करते हैं कि :

1. (क) कम्पनी ने समुचित अभिलेख अनुरक्षित किए हैं, जिनमें अचल आस्तियों के मात्रात्मक विवरण एवं स्थिति सहित पूर्ण विवरण दर्शाया गया है, जो पंजिका में अद्यतन किया गया है।

   (ख) जैसाकि हमें बताया गया है, प्रबंधन द्वारा वर्ष के अंत में अचल आस्तियों का भौतिक सत्यापन किया गया है। हमारे मतानुसार, भौतिक सत्यापन की बारंबारता कम्पनी के आकार एवं अचल आस्तियों की प्रकृति को देखते हुए तर्कसंगत है। ऐसे भौतिक सत्यापन में कोई महत्वपूर्ण विसंगति नहीं पाई गई है।

   (ग) वर्ष के दौरान, कम्पनी द्वारा इसकी अचल आस्तियों के किसी महत्वपूर्ण अंश का निपटान नहीं किया गया है।

2. पैरा (ii) कम्पनी पर लागू नहीं है।

3. (क) हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार तथा हमारे द्वारा की गई लेखा बहियों की जांच के आधार पर, कम्पनी ने अधिनियम की धारा 301 के अधीन अनुरक्षित पंजिका में सूचीबद्ध कम्पनियों, फर्म अथवा अन्य पार्टियों को कोई भी प्रत्याभूत अथवा अप्रत्याभूत ऋण प्रदान नहीं किया है।

   (ख) हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार तथा हमारे द्वारा की गई लेखा बहियों की जांच के आधार पर, कम्पनी ने अधिनियम की धारा 301 के अधीन अनुरक्षित पंजिका में सूचीबद्ध कम्पनियों, फर्म अथवा अन्य पार्टियों से कोई भी ऋण प्राप्त नहीं किया है।

4. हमारे मतानुसार तथा हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, अचल आस्तियों के क्रय तथा सेवाओं की बिक्री के संबंध में कम्पनी के आकार और इसके व्यवसाय की प्रकृति के अनुरूप यथेष्ट आंतरिक नियंत्रण प्रणाली विद्यमान है। हमने अपनी लेखापरीक्षा के दौरान आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में कोई बड़ी कमजोरी नहीं पाई है।

5. हमारे मतानुसार तथा प्रबंधन द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, ऐसे कोई लेन–देन नहीं हैं, जिनकी प्रविष्टि उक्त धारा के अनुसरण में कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अधीन अनुरक्षित पंजिका में किए जाने की आवश्यकता है।

6. कम्पनी ने जनता से कोई जमाराशियां स्वीकार नहीं की हैं।

7. हमारे मतानुसार, कम्पनी के पास इसके आकार और इसके व्यवसाय की प्रकृति के अनुरूप आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली मौजूद है।

8. भारत की केन्द्रीय सरकार ने कम्पनी के किसी भी उत्पाद के लिए अधिनियम की धारा 209 की उप–धारा 209 के क्लॉज (घ) के अधीन लागत अभिलेखा का अनुरक्षण निर्धारित नहीं किया है।

9. (क) हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण और हमारे द्वारा जांचे गए अभिलेखों के अनुसार, हमारे मतानुसार, कम्पनी अविवादित सांविधिक देयताओं का भुगतान उपयुक्त प्राधिकरणों को साधारणतः नियमित रूप से करती रही है, जिनमें इसके ऊपर लागू आय कर, स्रोत पर कर कटौती, सेवा कर, उप कर तथा अन्य सांविधिक देयताएं सम्मिलित हैं।

   (ख) हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण और हमारे द्वारा जांचे गए अभिलेखों के अनुसार, बिक्री कर, आय कर, सीमा शुल्क, सम्पत्ति कर, उत्पाद शुल्क तथा उप कर का ऐसा कोई बकाया नहीं है, जो किसी विवाद के कारण जमा नहीं किया गया है।

10. हमारे मतानुसार 31 मार्च, 2014 को कम्पनी की कुल संचित हानियां उसके शुद्ध मूल्य के पचास प्रतिशत से कम हैं। कम्पनी को उस तिथि को समाप्त वित्तीय वर्ष और तत्काल पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान नकद हानियां हुई हैं।

11. वर्ष के दौरान कम्पनी पर किसी वित्तीय संस्था, बैंक अथवा ऋणपत्र धारक को देय कोई बकाया नहीं था।

12. हमारे द्वारा जांचे गए दस्तावेजों एवं अभिलेखों के अनुसार तथा हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के आधार पर, हमारा मत है कि कम्पनी द्वारा ठेकेदार को अस्थायी एवं संचलन अग्रिम के रूप में ऋण और अग्रिम, शेयरों तथा ऋणपत्रों को छोड़कर अन्य प्रतिभूतियों के आधार पर मंजूर किए गए हैं।

13. हमारे मतानुसार तथा हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, कम्पनी चिट फंड/निधि/म्युचुअल बेनिफिट फंड/सोसाइटी नहीं है।

14. हमारे मतानुसार, कम्पनी शेयरों, प्रतिभूतियों, ऋणपत्रों तथा अन्य निवेशों में डीलर अथवा व्यापारी नहीं है।

15. हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, कम्पनी ने अन्यों द्वारा बैंक अथवा वित्तीय संस्थाओं से लिए ऋणों हेतु कोई गारंटी नहीं दी है।

16. हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं तथा प्रबंधन द्वारा हमें दी गई सूचना के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि कम्पनी ने वर्ष के दौरान किसी सावधि ऋण से कोई राशि नहीं जुटाई है।

17. हमारे मतानुसार तथा हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण और 31 मार्च, 2014 को कम्पनी के तुलनपत्र की समग्र जांच के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि अल्प–अवधि आधार पर जुटाई गई निधियों का उपयोग दीर्घ–अवधि निवेशों के लिए नहीं किया गया है।

18. वर्ष के दौरान, कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अधीन अनुरक्षित पंजिका में सम्मिलित पार्टियों तथा कम्पनियों को शेयरों का अधिमान आबंटन नहीं किया है।

19. कम्पनी ने ऋणपत्र जारी नहीं किए हैं और अतएव जारी किए गए ऋणपत्रों के संदर्भ में सुरक्षा सृजन के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

20. कम्पनी द्वारा वर्ष के दौरान जनता से कोई धनराशि नहीं जुटाई गई है।

21. हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, कम्पनी के विरूद्ध अथवा द्वारा कोई वास्तविक कपट नहीं देखा गया है अथवा हमारी लेखापरीक्षा के दौरान रिपोर्ट नहीं किया गया है।

कृते जे डी ए एंड कंपनी
(चार्टर्ड एकाउंटेंट्स)
एफआरएनः 015377 एन

ह0/–
सी ए नितिन अग्रवाल
(साझेदार)
एम नं. 506909

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 13 अगस्त, 2013

वार्षिक लेखे
2013-2014

इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिज़र्वस लिमिटेड

31 मार्च, 2014 का तुलन पत्र

विवरण	नोट संख्या	31 मार्च, 2014 को	31 मार्च, 2013 को
इक्विटी एवं देनदारियां		₹	₹
शेयर धारक निधि			
(क) शेयर पूंजी	3	23,970,000,000	19,692,680,200
(ख) भंडार और अधिशेष	4	(255,435,088)	(205,249,747)
		23,714,564,912	**19,487,430,453**
शेयर आवेदन राशि लंबित आवंटन	3.3	4,675,746,707	3,742,100,000
गैर–मौजूदा देनदारियां			
(क) अन्य दीर्घकालिक देनदारियां	5	2,090,021,516	466,192,595
चालू देनदारियां			
(क) व्यापार देनदारियां	6	267,529,041	1,302,198,745
(ख) अन्य चालू देयताएं	7	113,471,349	195,288,018
(ग) अल्पावधि प्रावधान	8	1,132	1,434,729
		381,001,522	**1,498,921,492**
योग		**30,861,334,657**	**25,194,644,540**
परिसंपत्तियां			
गैर–मौजूदा परिसंपत्तिया			
(क) अचल परिसंपत्तियां			
(i) वास्तविक परिसंपत्तियां	9ए	1,308,927,312	1,351,303,848
(ii) पूंजी कार्य प्रगति में	9बी	28,564,035,161	22,912,639,804
(ख) दीर्घकालिक ऋण एवं अग्रिम	10	551,146,045	401,146,045
		30,424,108,518	**24,665,089,697**
चालू परिसंपत्तियां			
(क) नकद और नकद के समकक्ष	11	243,998,860	89,613,439
(ख) अल्पकालिक ऋण एवं अग्रिम	12	193,227,280	439,941,405
		437,226,139	**529,554,843**
योग		**30,861,334,657**	**25,194,644,540**
वित्तीय विवरणों की अतिरिक्त सूचना	1 से 15		

हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते जेडीए एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएन 015377एन

ह0/–
(सी ए नितिन अग्रवाल)
साझेदार
एम नं. 506909

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 13 अगस्त' 2014

नदेशक मंडल के लिए तथा उनकी ओर से

ह0/–
(आर. के. सिंह)
निदेशक
(डीआईएन 05193269)

ह0/–
(एल. एन. गुप्ता)
निदेशक
(डीआईएन 01872190)

ह0/–
(एस. आर. हास्यागर)
मुख्य वित्त अधिकारी

ह0/–
(राजन के. पिल्लै)
सीईओ एवं एमडी
(डीआईएन 06799503)

ह0/–
(भाव्या गुप्ता)
कम्पनी सचिव

इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिज़र्वस लिमिटेड

31 मार्च, 2014 वर्ष तक का लाभ व हानि विवरण			
विवरण	**नोट संख्या**	**31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए**	**31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिए**
		₹	**₹**
व्यय			
(क) मूल्यह्रास और परिशोधन खर्च	9ए	43,145,270	81,674,712
(ख) अन्य खर्चे	13	2,762,751	1,642,483
(ग) स्टांप शुल्क	13ए	4,277,320	5,182,704
कुल व्यय		**50,185,341**	**88,499,899**
(हानि) अप्रवाद और असाधारण मदों और करों से पूर्व		(50,185,341)	(88,499,899
कर व्यय			
पूर्व वर्षों से संबंधित वर्तमान कर व्यय		-	-
(हानि) लगातार प्रचालनों से		(50,185,341)	(88,499,899)
(हानि) वर्ष के लिए		(50,185,341)	(88,499,899)
(हानि) प्रति शेयर (10 रूपये का प्रति शेयर)	15.3		
(क) मूलभूत	15.3.ए	(0.02)	(0.04)
(ख) मिश्रित	15.3.बी	(0.02)	(0.04)
वित्तीय विवरणों की अतिरिक्त सूचना	1 से 15		

हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते जेडीए एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएन 015377एन

ह0/–
(सी ए नितिन अग्रवाल)
साझेदार
एम नं. 506909

सथान : नई दिल्ली
दिनांक : 13 अगस्त' 2014

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

ह0/–
(आर. के. सिंह)
निदेशक
(डीआईएन 05193269)

ह0/–
(एल. एन. गुप्ता)
निदेशक
(डीआईएन 01872190)

ह0/–
(एस. आर. हास्यागर)
मुख्य वित्त अधिकारी

ह0/–
(राजन के. पिल्लै)
सीईओ एवं एमडी
(डीआईएन 06799503)

ह0/–
(भाव्या गुप्ता)
कम्पनी सचिव

इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिज़र्वस लिमिटेड
वित्तीय विवरणों का हिस्सा बने नोट्स

नोट	विवरण
1.	**कॉर्पोरेट जानकारी** इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्वस लिमिटेड 16 जून, 2004 को आईओसीएल की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में निगमित हुई। कंपनी के संपूर्ण शेयर ओआईडीबी तथा उनके नामितियों द्वारा 9 मई, 2006 को अधिगृहित कर लिए गए थे। कंपनी का मुख्य उद्देश्य कच्चे तेल के स्टॉक का स्वामित्व, कच्चे तेल की सूची पर नियंत्रण करना एवं स्टॉक के प्रतिस्थापन का समन्वय सरकार के विशेष निर्देश के अनुसार करना और भंडारण, हैंडलिंग, निर्वहन, ढुलाई, परिवहन, प्रेषण, आपूर्ति, बाजार, अनुसंधान, सलाह, परामर्श, सेवा प्रदाताओं, दलालों और एजेंटों, इंजीनियरिंग और सिविल डिजाइनरों, ठेकेदारों, घटवालों, गोदाममालिकों, उत्पादकों, तेल और तेल उत्पादों, गैस और गैस उत्पादों, पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों,ईंधन, स्प्रिट, रसायन, सभी प्रकार और तरह के तरल पदार्थ के डीलरों और यौगिकों, डेरिवेटिव्स, मिश्रण, तैयारी और उसके उत्पादों संबंधी कार्य संपादित करना है ।
2.	**महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां**
2.1	**लेखांकन का आधार** वित्तीय विवरण, लेखांकन के प्रोद्भवन आधार पर ऐतिहासिक लागत परिपाटी के अधीन, कंपनी अधिनियम, 1956 की अपेक्षाओं के अनुपालन में और कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 211 (3सी) में निर्दिष्ट भारत के सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा निर्गमित लेखांकन मानकों के अनुसार, तैयार किए गए हैं।
2.2	**अनुमानों का उपयोग** वित्तीय विवरण सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन नीतियों के अनुरुप तैयार किए गए हैं जिसके अनुसार प्रबंधन वर्ग को प्राक्कलन तथा पूर्वानुमान लगाना होता है जो परिसंपत्तियों तथा देयताओं की प्रतिवेदित राशियों को प्रभावित करता है। साथ ही यह वित्तीय विवरण की तिथि पर आकस्मिक परिसंपत्तियों तथा देयताओं के प्रकटन और प्रस्तुत वर्षों कें राजस्व व व्यय के प्रतिवेदित लेखों को प्रभावित करता है।
2.3	**स्थायी परिसंपत्तियां / अप्रत्यक्ष परिसंपत्तियां** स्थायी परिसंपत्तियां सभी स्थायी परिसंपत्तियां, कम संचित मूल्य–ह्रास पर बताई जाती हैं। लागत में खरीद मूल्य तथा उदिष्ट प्रयोग हेतु परिसंपत्तियों को चालू अवस्था तक लाने तक के अन्य सभी आरोपित खर्च शमिल हैं। स्थायी पटटे और साथ ही साथ 99 वर्षो से अधिक के लिए पट्टे पर ली गई जमीन को पूर्ण स्वामित्व वाली जमीन के रूप में माना गया है । 99 वर्षों या इससे कम के लिए पट्टे पर ली गई जमीन को पटट्धृत जमीन माना गया है । अप्रत्यक्ष परिसंपत्तियां अप्रत्यक्ष परिसंपत्तियां मानी जाती हैं यदि : - यह संभावना हो कि भविष्य के आर्थिक लाभ, जो परिसंपत्तियों से संबंधित हैं, कंपनी को प्राप्त होंगे। और - परिसंपत्तियों की लागत / उचित मूल्य विश्वसनीय रुप से आंका जा सकता है

2.4 **मूल्य–ह्रास और ऋण मुक्ति**

मूल्य–ह्रास, कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूचि XIV में उल्लिखित दर पर ह्रासित मूल्य पद्धति पर प्रदान किया जाता है।

जमीन की लागत को वर्षों की संख्या या उसके भाग के अनुसार पटटे् की शेष अवधि में परिशोधित किया जाता है।

2.5 **राजस्व मान्यता : निर्माण कार्य प्रगति पर है तथा आंबटन और खर्चों का संविभाजन**

(i) स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्वस के लिए परियोजना कार्यान्वयन के अधीन है और कंपनी ने अभी व्यवसायिक प्रचालन प्रारंभ नहीं किया है। भारत के सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा अमूर्त परिसंपत्तियों पर लेखा मानक 26 का अनुपालन करने के लिए लाभ तथा हानि के लेखे तैयार किए गए हैं। लेखा मानक 10 के अनुसार, स्थाई परिसंपत्तियों, परियोजना पर जो खर्च आरोपित नहीं है, लाभ तथा हानि खाते में परिवर्तित कर दिए हैं।

(ii) परियोजना विकास, संभाव्यता अध्ययन, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का शुल्क, परियोजना प्रबंधन परामर्श शुल्क, भूमि अधिग्रहण व्यय, ठेकेदारों को किए गए भुगतान (भूमिगत/भूमि के ऊपर), विज्ञापन खर्चे, बीमा किस्तें, भूमिगत कार्यो के लिए सप्लाई किए गए डीजल की कीमत आदि खर्चे 'निमार्ण कार्य प्रगति' पर है, के रूप में दिखाए गए हैं।

(iii) अप्रत्यक्ष/प्रासंगिक खर्चे (प्रधान कार्यालय के खर्चों सहित) सभी तीनों परियोजनाओं अर्थात विशाखापट्टनम, मंगलौर और पादुर में वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर प्रत्यक्ष खर्च के अनुपात में बांटे गए हैं ।

(iv) बीमा दावों का हिसाब, दावे के निपटान के समय किया जाता है।

2.6 **प्रावधान तथा आकस्मिक व्यय**

कंपनी प्रावधान तब करती है जब किसी पिछली घटना के फलस्वरुप वर्तमान में दायित्व हो तथा ऐसे दायित्वों से निपटने के लिए संसाधनों का बहिर्गमन होगा, ऐसी अधिक संभावना हो तथा ऐसे दायित्वों का मूल्य विश्वसनीय रुप से आंका जा सके। प्रावधानों में उनके वर्तमान मूल्य के अनुसार छूट नहीं दी जाती है तथा वर्ष के अंत में प्रबंधन के सर्वोत्तम अनुमान के आधार पर दायित्व की राशि निर्धारित की जाती है। प्रत्येक तुलनपत्र की तिथि पर इनका पुनर्वलोकन किया जाता है तथा प्रबंधन के अच्छे अनुमानों को दर्शाने के लिए समायोजित किया जाता है।

आकस्मिक देयताओं का खुलासा संभव दायित्वों के लिए किया जाता है, जो पिछली घटनाओं से उद्गत हुई हैं तथा जिनके होने की पुष्टि भविष्य की घटनाओं जो पूरी तरह से कंपनी के नियंत्रण में नहीं होगीं, के घटित होने या ना होने पर होगीं। आकस्मिक देयताओं का खुलासा उन वर्तमान दायित्वों के लिए भी किया जाता है जहां संभव दायित्व या वर्तमान दायित्व जिसके कारण संसाधनों के बहिर्गमन की संभावना ना हो या जहां दायित्वों का विश्वसनीय रुप से मूल्यांकन न किया जा सकता हो।

जब कंपनी में संसाधनों के बहिर्गमन की संभावना अल्प हो, तब कोई भी प्रकटन या प्रावधान नहीं किए जाते।

2.7 **परिसंपत्तियों की क्षति**

प्रबंधक वर्ग समय–समय पर बाह्य तथा आंतरिक स्त्रोतों के जरिए आकलन करता रहता है कि क्या वहां किसी परिसंपत्ति के क्षति ग्रस्त होने के संकेत हैं। क्षति वहीं होती है जहाँ अग्रेनित मूल्य भविष्य नकदी प्रवाह के वर्तमान मूल्य से अधिक हो जाता है जो परिसंपत्ति के निरंतर उपयोग और उसकी संभावित बिक्री से उत्पन्न होते हैं। जब रखाव मूल्य परिसंपत्ति के उच्च बिक्री मूल्य तथा वर्तमान मूल्य से अधिक हो जाता है तब क्षतिगत हानि का व्यय के रूप में निर्धारण होता है और यदि वसूली योग्य राशि के निर्धारण में लगाए गए अनुमान में अंतर होता है तो क्षतिगत हानि को रिवर्स कर दिया जाता है। क्षतिगत हानि केवल उस सीमा तक दर्ज की जाती है जब परिसंपत्ति रखाव

लागत, रखाव राशि को जिसका निर्धारण निवल मूल्यह्रास तथा परिशोधन घटाकर की जाती है, को पार नहीं करती, यदि कोई क्षतिगत हानि नहीं मानी गई है।

2.8 **प्रचालन पट्टे**

<u>ऑपरेटिंग लीज़</u>

ऐसी पट्टा व्यवस्थाएँ जहाँ एक परिसंपत्ति के स्वामित्व के आनुषंगिक जोखिम तथा प्रतिफल काफी हद तक पट्टे पर देने वाले के अधिकृत कर दिये जाते हैं, प्रचालन पट्टे माने जाते हैं। प्रचालन पट्टा व्यवस्था के अधीन पट्टा भुगतान, पट्टा अवधि पर एक "स्ट्रेट लाइन" के आधार पर 'निर्माण कार्य में प्रगति' शीर्ष के अधीन खर्च के रूप में देखा जाता है।

2.9 **कर्मचारी हित**

आज की तारीख में कंपनी के वेतन पत्रक पर कोई कर्मचारी नहीं था और इस समय कंपनी का कार्य प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कर्मचारियों द्वारा संभाला हुआ है। इसलिए, "कर्मचारी हित" पर लेखांकन मानक–15 के प्रावधान लागू नहीं हैं।

2.10 **विदेशी मुद्रा व्यवहार तथा अनुवाद**

विदेशी मुद्रा में लेन–देन, लेन–देन की तिथियों पर प्रचलित विनिमय दर पर रेकॉर्ड किए गए हैं। विदेशी मुद्रा में अभिदानित और तुलनपत्र तिथियों में बकाया मुद्रा मद तुलनपत्र तिथि पर प्रचलित विनिमय दर में अनुवादित किए जाते हैं। विदेशी विनिमय व्यवहार पर विनिमय अंतर को, स्थायी परिसंपत्तियों से संबंधित विनिमय अंतर के अलावा, समुचित मान्यता प्राप्त है । स्थायी परिसंपत्तियों के अधिग्रहण से उद्गत व्यय के भुगतान की तिथि पर हुए विनिमय उतार–चढ़ाव से किसी प्रकार की लाभ/हानि को ऐसी स्थाई परिसंपत्तियों के अग्रेनित लागत में समायोजित माना जाता है।

2.11 **आय पर कर**

आयकर में वर्तमान कर और आस्थगित कर शामिल हैं। आस्थगित कर परिसंपत्तियां और देयताएं, विवकेशील विचार के अधीन, अवधि अंतर के भविष्य कर परिणामों के लिए स्वीकार किए जाते हैं। आस्थगित कर परिसंपत्तियां और देयताएं तुलनपत्र तिथि तक अधिनियमित अथवा मूल रूप से अधिनियमित कर की दर से आंकी जाती हैं। एक विवेकपूर्ण उपाय के रूप में कंपनी ने आस्थगित कर परिसंपत्ति को नहीं माना है।

2.12 **प्रति शेयर अर्जन**

प्रति शेयर मूल अर्जन का परिकलन, अवधि के दौरान बकाए इक्विटी शेयर की संख्या द्वारा इक्विटी शेयरधारकों को आरोप्य अवधि हेतु निवल लाभ अथवा हानि से भाग करके किया जाता है ।

तनूकृत अर्जन प्रति शेयर के परिकलन के उद्देश्य के लिए, अवधि के दौरान इक्विटी शेयरधारकों को आरोप्य अवधि हेतु निवल लाभ अथवा हानि तथा बकाया शेयरों की संख्या को सभी तनूकृत संभाव्य इक्विटी शेयरों के प्रभावों हेतु समायोजित किया जाएगा ।

2.13 पिछले वर्ष के आकड़ों को चालू वर्ष के वर्गीकरण/प्रकटीकरण के आवश्यकता अनुसार सुव्यवस्थित / सुगठित किया गया है।

वित्तीय विवरणों का हिस्सा बने नोट्स

नोट 3 शेयर पूंजी

विवरण	31 मार्च, 2014 को		31 मार्च, 2013 को	
	शेयरों की संख्या	₹	शेयरो की संख्या	₹
(क) **प्राधिकृत** 10 रूपये प्रति इक्विटी शेयर	3,724,000,000	37,240,000,000	2,397,000,000	23,970,000,000
(ख) **निर्गत/अभिदत्त/प्रदत्त** 10 रूपये प्रति इक्विटी शेयर	2,397,000,000	23,970,000,000	1,969,268,020	19,692,680,200
योग	**2,397,000,000**	**23,970,000,000**	**1,969,268,020**	**19,692,680,200**

विवरण			
विवरण	**प्रारंभिक बकाया**	**वर्ष के दौरान नए जारी**	**अंतिम बकाया**
इक्विटी शेयर			
31 मार्च, 2014 वर्ष के अंत में			
– शेयरों की संख्या	1,969,268,020	427,731,980	2,397,000,000
– रकम (रूपये)	19,692,680,200	4,277,319,800	23,970,000,000
31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष			
– शेयरों की संख्या	1,450,997,583	518,270,437	1,969,268,020
– रकम (रूपये)	14,509,975,830	5,182,704,370	19,692,680,200

नोट 3.2 5% शेयरों से अधिक रखने वाले प्रत्येक शेयरधारक द्वारा रखे शेयरों का ब्यौरा :

विवरण	31 मार्च, 2014 को		31 मार्च, 2013 को	
	धारित शेयरों की संख्या	शेयरों की उस श्रेणी में धारित प्रतिशत	धारित शेयरो की संख्या	शेयरो की उस श्रेणी में धारित प्रतिशत
इक्विटी शेयर				
तेल उद्योग विकास बोर्ड, नई दिल्ली और इसके नामित सदस्य	2,397,000,000	100%	1,969,268,020	100%

नोट 3.3 शेयर आवेदन राशि लंबित आवंटन

31 मार्च, 2014 को, दिनांक 31.3.2014 तक ओआईडीबी से प्राप्त रकम में से, रू. 4,67,57,46,707/– रूपये के इक्विटी शेयर अभी भी आंवटित किए जाने हैं और "शेयर आवेदन राशि लंबित आवंटन" के अधीन दिखाया गया है। इन शेयरों के आवंटन के लिए कंपनी के पास पर्याप्त प्राधिकृत पूंजी है।

नोट 4 भंडार और अधिशेष

विवरण	31 मार्च, 2014 को	31 मार्च, 2013 को
	₹	₹
(घाटा) लाभ और हानि विवरणी में प्रारंभिक बकाया	(205,249,747)	(116,749,848)
जमाः (हानि) वर्ष के लिए	(50,185,341)	(88,499,899)
योग	**(255,435,088)**	**(205,249,747)**

वित्तीय विवरणों का हिस्सा बने नोट्स

नोट 5 अन्य दीर्घकालिक देयताएं

विवरण	31 मार्च, 2014 को	31 मार्च, 2013 को
	रूपये	रूपये
ठेकेदारों से रोकी हुई राशि – संविदात्मक	590,021,416	466,192,595
एचपीसीएल से अग्रिम	1,350,000,100	-
ओआईडीबी से अग्रिम	150,000,000	-
योग	**2,090,021,516**	**466,192,595**

नोट 6 व्यापारिक देयताएं

विवरण	31 मार्च, 2014 को	31 मार्च, 2013 को
	रूपये	रूपये
व्यापारिक देनदारियां	267,529,041	1,302,198,745
योग	**267,529,041**	**1,302,198,745**

नोट 7 अन्य चालू देयताएं

विवरण	31 मार्च, 2014 को	31 मार्च, 2013 को
	रूपये	रूपये
अन्य देनदारियां		
(i) वैधानिक प्रेषण (रोके हुए कर, श्रम उपकर, टीडीएस एवं कार्य संविदा कर)	48,914,613	48,395,152
(ii) अन्य (रॉक निपटान के प्रति समायोज्य रकम)	11,408,003	15,516,422
(iii) धरोहर जमा/ईएमडी	1,599,852	1,484,564
(iv) ठेकेदारों से रोकी हुई राशि–पूर्ति	51,548,881	129,891,880
योग	**113,471,349**	**195,288,018**

नोट 8 अल्पकालिक प्रावधान

विवरण	31 मार्च, 2014 को	31 मार्च, 2013 को
	रूपये	रूपये
ईएनसी भूमि किराए के लिए प्रावधान	7	6
खर्च हेतु लेनदार	1,125	1,434,723
योग	**1,132**	**1,434,729**

वित्तीय विवरणों का हिस्सा बने नोट्स

नोट 9 अचल परिसंपत्तियां

ए.	मूर्त परिसंपत्तियां	कुल संपत्तियां				संचित मूल्य ह्रास				शुद्ध कुल संपत्तियां	
		1 अप्रैल, 2013 को बकाया	वर्ष के दौरान वृद्धि	वर्ष के दौरान विलोपन	31 मार्च, 2014 को बकाया	1 अप्रैल, 2013 को बकाया	मुल्यह्रास/ परिशोधन	संपत्तियों के निपटान पर विलोपन	31 मार्च, 2014 को बकाया	31 मार्च, 2014 को बकाया	31 मार्च, 2013 को बकाया
		₹	₹	₹	₹	₹	₹	₹	₹	₹	₹
	(क) भूमि पट्टाधृत	1,502,803,957	-	-	1,502,803,957	153,758,260	42,603,106	-	196,361,366	1,306,442,591	1,349,045,697
	(ख) फर्नीचर और फिक्स्चर	989,673	371,244	-	1,360,917	113,196	211,110	-	324,306	1,036,611	876,477
	(ग) कार्यालय उपकरण	1 ,395,829	15,100	-	1,410,929	372,723	143,626		516,349	894,580	1,023,106
	(घ) कंप्यूटर	1,838,954	382,390	-	2,221,344	1,480,387	187,428	-	1,667,815	553,529	358,567
	योग	**1,507,028,413**	**768,734**	**-**	**1,507,797,147**	**155,724,566**	**43,145,270**	**-**	**198,869,836**	**1,308,927,312**	**1,351,303,848**
	31 मार्च, 2013 को	**1,509,143,971**	**1,490,110**	**3,605,668**	**1,507,028,413**	**74,058,937**	**81,674,712**	**9,083**	**155,724,566**	**1,351,303,848**	**1,435,085,035**

बी.	पूंजीगत कार्य प्रगति पर है (नोट 9बी(i) का संदर्भ लें)	31 मार्च, 2014 को बकाया	31 मार्च, 2013 को बकाया
		रूपये	रूपये
	चरण–I		
	- विशाखापट्टनम कैवर्न परियोजना	9,041,448,913	8,449,501,703
	- पादुर कैवर्न भंडारण परियोजना @	11,997,530,683	9,186,504,765
	- मंगलौर कैवर्न परियोजना @	7,525,055,565	5,159,693,232
	चरण–II डीएफआर	-	116,940,104
	योग	**28,564,035,161**	**22,912,639,804**

@ प्रधान कार्यलय खर्चे भी शामिल हैं।

वित्तीय विवरणों का हिस्सा बने नोट्स

नोट सं. 9 बी (i) : पूंजीगत कार्य प्रगति पर

विवरण	31.03.2014 को	31.03.2013 को
	₹	₹
निर्माण कार्य प्रगति पर		
(इसमें अनआवंटित पूंजीगत खर्चे, कार्य स्थल पर सामाग्री शामिल है)		
भंडारण चरण–1		
विशाखापट्टनम कैवर्न भंडारण परियोजना		
भूमिगत सिविल कार्य	4,544,125,287	4,31,63,34,906
भूमि के ऊपर प्रक्रिया सुविधाएं	3,432,355,193	3,12,92,09,034
परियोजना प्रबंधन परामर्श	904,081,080	86,80,23,977
अध्ययन एवं सर्वेक्षण	16,316,780	16,316,780
अन्य परियोजना खर्चे	43,935,921	24,166,208
प्रधान कार्यालय खर्चे	100,634,652	95,450,798
योग	**9,041,448,913**	**8,449,501,703**
पादुर कैवर्न भंडारण परियोजना		
भूमिगत सिविल कार्य	7,582,937,065	5,958,383,006
भूमि के ऊपर प्रक्रिया सुविधाएं	2,247,093,444	1,136,639,733
परियोजना प्रबंधन परामर्श	1,245,164,254	1,062,857,423
अध्ययन एवं सर्वेक्षण पादुर	12,265,256	12,265,256
अन्य परियोजना खर्चे	51,399,690	962,858,206
पाइपलाइन	777,432,003	-
प्रधान कार्यालय खर्चे	81,238,970	53,501,141
योग	**11,997,530,683**	**9,186,504,765**
मंगलौर कैवर्न भंडारण परियोजना		
भूमिगत सिविल कार्य	3,979,637,211	3,417,818,899
भूमि के ऊपर प्रक्रिया सुविधाएं	2,026,517,111	862,673,448
परियोजना प्रबंधन परामर्श	987,474,493	821,715,371
अध्ययन एवं सर्वेक्षण	13,558,986	13,558,986
अन्य परियोजना खर्चे	12,883,869	9,477,271
पाइपलाइन	452,941,350	-
प्रधान कार्यालय खर्चे	52,042,545	34,449,257
योग	**7,525,055,565**	**5,159,693,231**
भंडारण चरण–II		
परियोजना प्रबंधन परामर्श	-	103,338,545
अध्ययन एवं सर्वेक्षण	-	8,367,795
अन्य परियोजना खर्चे	-	5,233,764
योग	**-**	**116,940,104**
सकल निर्माण कार्य प्रगति पर	**28,564,035,161**	**22,912,639,804**

वित्तीय विवरणों का हिस्सा बने के नोट्स

नोट 10 दीर्घकालिक ऋण एवं पेशगियां

विवरण	31 मार्च, 2014 को	31 मार्च, 2013 को
	₹	₹
धरोहर जमा	20,369,274	20,369,274
सरकारी प्राधिकारियों के पास बकाया – सेनवेट क्रेडिट प्राप्य	380,776,771	380,776,771
एचसीसी को अग्रिम – वाइजेग प्रोजेक्ट	150,000,000	-
योग	**551,146,045**	**401,146,045**

नोट 11 नकद और नकद समतुल्य

विवरण	31 मार्च, 2014 को	31 मार्च, 2013 को
	₹	₹
हस्तगत नकदी	1,297	19,960
बैंको के पास बकाया – ऑटोस्वीप चालू खाता	243,997,563	89,593,479
योग	**243,998,860**	**89,613,439**

नोट 12 अल्पकालिक ऋण एवं पेशगियां

विवरण	31 मार्च, 2014 को	31 मार्च, 2013 को
	₹	₹
पूर्वदत्त व्यय – असुरक्षित, अच्छा माना गया	4,062,315	1,498,243
अन्य ऋण एवं पेशगियां – असुरक्षित अच्छा माना गया		
टीडीएस प्राप्य *	13,934,682	10,541,883
नकद या किसी प्रकार में वसूली योग्य पेशगियां	12,199,553	102,466,690
आरओयू प्राप्ति और डीजल आपूर्ति के लिए अग्रिम	76,608	3,440,129
लामबंदी अग्रिम	128,739,622	283,502,640
भूमि के प्रति अग्रिम – पादुर	34,214,500	34,214,500
शेयरों पर स्टांप शुल्क हेतु अग्रिम	-	4,277,320
योग	**193,227,280**	**439,941,405**

* रूपये 38,10,397 का प्राप्य टीडीएस, भुगतान किए गए अधिक टीडीएस के प्रति है। वापसी दावा दर्ज़ कर दिया गया है।

नोट 13 अन्य खर्चे

विवरण	31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिए
	₹	₹
कानूनी और पेशवर शुल्क	22,410	63,963
लेखा परीक्षकों को भुगतान (नीचे दिया गया नोट(i) देखें)	218,871	252,810
खाते से हटाई गई अचल संपत्तियां	-	8,841
कार्यालय खर्चे	2,521,470	1,316,869
योग	**2,762,751**	**1,642,483**

नोट 13(i) : लेखा परीक्षकों को किए गए भुगतान का ब्यौरा

विवरण	31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिए
	₹	₹
लेखा परीक्षकों के भुगतान में समाविष्ट :–		
'लेखा परीक्षकों के रूप में – सांविधिक लेखा परीक्षा – 1,68,540		
'व्ययों की प्रतिपूर्ति – 15,500		
'कम्पनी कानून के मामलों के लिए – 6,741	190,781	168,540
आंतरिक लेखा परीक्षक का पारिश्रमिक	28,090	84,270
योग	**218,871**	**252,810**

नोट 13ए स्टॉप डयूटी खर्चों का ब्यौरा

विवरण	31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिए
	₹	₹
जारी किए गए शेयरों पर स्टॉप शुल्क	4,277,320	5,182,704
योग	**4,277,320**	**5,182,704**

नोट 14 वित्तीय विवरणों के बारे में अतिरिक्त सूचना

14.1 आकस्मिक देयताएं और प्रतिबद्धताएं (जिसके लिए व्यवस्था नहीं की गई, की हद तक)

विवरण	31 मार्च, 2014 को	31 मार्च, 2013 को
	₹ (लाख में)	₹ (लाख में)
i) **आकस्मिक देनदारियां**		
इसमें ग्रीन बेल्ट के विकास और सीएसटी अदायगी के प्रति देनदारी शामिल है	611	611
ii) एमआरपीएल से खरीदे गए डीजल पर वर्ष 2010–11 और 2011–12 के लिए ब्याज और दंड सहित प्रवेश कर (एन्ट्री टैक्स) की मांग		
2010–11 वर्ष के लिए	38	-
2011–12 वर्ष के लिए	121	-
iii) **पूंजी प्रतिबद्धताएं**		
पूंजी खाते पर निष्पादित किये जाने वाले, जिसके लिए व्यवस्था नहीं की गई, बकाया चल रहे सभी मुख्य ठेकों की अनुमानित राशि	32,867	85,626

iii) जून, 2011 में, अर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति ने रूपये 67,183 लाख की अनुमनित लागत के प्रति (सितंबर 2005 के मूल्यों पर) विशाखापट्टनम परियोजना के लिए रूपये 1,03,800 लाख की संशोधित अनुमानित लागत अनुमोदित की थी। लागत में वृद्धि, विनिमय दर विभिन्नताएं, क्षमता में बढ़ोतरी, विशाखापट्टनम की साइट की स्थिति और तकनीकी सुधारों का ख्याल रखने के लिए किए गए परिवर्धन/विलोपन सांविधिक करों में वृद्धि, मालिकों की लागत अदि के कारण लागत में संशोधन किया गया। परन्तु इसमें सुरक्षा प्रबंधों के खर्चे शामिल नहीं है। वर्ष के दौरान 12,27,00 लाख रूपये की संशोधित लागत मंगलौर के लिए उसकी 7,31,72 लाख रूपये की जगह अनुमानित मूल लागत की तुलना में और 16,93,00 लाख रूपये पादुर के लिए उसकी 9,93,28 लाख रूपये की जगह अनुमानित मूल लागत की तुलना में, अनुमोदित की गई।

14.2 विदेशी मुद्रा में व्यय (भारतीय मुद्रा समतुल्य)

विवरण	31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिए
	रूपये (लाख में)	रूपये (लाख में)
अन्य मामले (विदेश यात्रा)	16.54	3.60
अन्य मामले (फेज –II के डीएफआर अध्ययन के लिए 6,500 यूएसडी और 11,740 यूरो, तथा पंपो के लिए 11,43,097 यूरो, का भुगतान जारी किया)	929.52	350.05

14.3 विदेशी मुद्रा में आय

विवरण	31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिए
	रूपये (लाख में)	रूपये (लाख में)
उपार्जन	शून्य	शून्य

14.4 निर्माण की अनुमानित लागत

i) निर्माण की अनुमानित लागत जिसका निर्धारण भूमिगत सिविल कार्य, भूमि के ऊपर प्रक्रियां सुविधाएं, पाईपलाईन कार्य अदि के लिए हस्ताक्षरित ठेकों पर आधारित है परियोजना पर पूरे समय के दौरान इसके संपूर्ण होने तक खर्च हो जाने की उम्मीद है और जिसमें भूमि की कीमत, सामग्री, सेवाएं और अन्य संबंद्ध ओवरहेड्स शामिल हैं।

ii) तुलन पत्र की तिथि अर्थात 31 मार्च, 2014 को विशाखापट्टनम, मंगलौर और पादुर परियोजनाओं पर फेस 1 के लिए निर्माण गतिविधियां प्रगति पर थीं। तुलन पत्र की तिथि तक खर्च किए गए प्रत्यक्ष लागत और आबंटन लागत 'निर्माण कार्य प्रगति पर' के अधीन दिखाई गई है। वर्ष 2013–14 के दौरान किए गए खर्चे, जो परियोजनाओं के लिए आरोपित नहीं है, लाभ व हानि विवरण में लिए गए हैं।

iii) राजकोट (2.5 एमएमटी), पादुर (2.5 एमएमटी), चंडीखोल (3.75 एमएमटी) और बीकानेर (3.75 एमएमटी) चारों स्थानों पर 12.5 एमएमटी क्षमता हेतु चरण II की परियोजनाओं के लिए विस्तृत संभाव्यता रिपोर्ट पूरी कर ली गई हैं।

iv) चरण–II की विस्तृत व्यवहार्यता रिपोर्ट के पूरा होने पर, ओआईडीबी से प्राप्त 1169 लाख की राशि को सीडब्लूआईपी से स्थानांतरित किया गया है।

14.5 i) कर्नाटक सरकार के खान और भू–विज्ञान विभाग ने, विभाग को प्रभुत्व शुल्क/रॉयल्टी का नियमानुसार भुगतान करने के बाद, पादुर और मंगलौर की खुदाई सामग्री को उपयुक्त विक्रेताओं को बेचने की कंपनी को अनुमति दी थी।

ii) रॉक मलबे को हटाने के लिए खान और भूविज्ञान विभाग से उत्खनन लाईसेंस लेना ज़रूरी है। तदनुसार , कंपनी ने कर्नाटक सरकार के खान और भूविज्ञान विभाग, से उत्खनन लाईसेंस प्राप्त कर लिया है। कार्या देश के आधार पर, पादुर के 2 स्थलों से रॉक के निपटान का कार्य किया गया है।

14.6 विशाखापट्टनम परियोजना को पूरा करने की लक्षित तिथि सितम्बर 2014 तक बढ़ा दी गई है। दिनांक 7 अप्रैल 2011 को विशाखापट्टनम कैवर्न ए1 में रॉक गिरने की दुर्घटना हुई थी। साइट पर मरम्मत/ बहाली और मज़बूत बनाने की गतिविधियों पर रूपये 1238 लाख की अतिरिक्त राशि पहले ही खर्च की जा चुकी है। रूपये 1277 लाख की अतिरिक्त राशि का बीमा दावा दर्ज किया जा चुका है और दावे के प्रति बीमा कंपनी से रूपये 450 लाख की तदर्थ राशि प्राप्त हो गई है। बीमा कंपनी से ऐसी प्राप्तियों को प्राप्त वर्ष के खातों में स्वीकार कर लिया जाएगा। मरम्मत और कार्य की बहाली के लिए वर्ष के दौरान किए गए खर्च की राशि सीडब्ल्यूआईपी में शामिल की गई है और मरम्मत कार्य प्रगति पर है।

14.7i) विशाखापट्टनम में विशाखापट्टनम पोर्ट ट्रस्ट (वीपीटी) से ली गई 38 एकड़ भूमि में से कंपनी ने दिनांक 23.5.2011 के अपने पत्र के माध्यम से 1 एकड़ व्यर्थ पट्टाधृत भूमि वापिस कर दी है। कंपनी द्वारा वापिस की गई भूमि को वीपीटी ने स्वीकार कर लिया है। वीपीटी द्वारा ली गई 1 एकड़ की भूमि के लिए अनुपातिक पट्टा प्रीमियम के आधार पर रूपये 72.51 लाख कंपनी के खाते में प्राप्य दर्शाए गए हैं।

ii) मंगलौर परियोजना हेतु अपेक्षित भूमि मंगलौर विशेष आर्थिक जोन लिमिटेड (एमएसईजैडएल) से प्राप्त कर ली है। 31.03.2013 तक पूरी भूमि की कीमत जिसमें सड़क को मोडने हेतु 350 लाख रूपये की राशि शामिल है एम एस ई जैड एल को चुका दी गई है और पूंजीकृत कर ली गई है और लीज की बकाया अवधि के लिए परिशोधित कर दिया है।

iii) कंपनी के पादुर परियोजना के लिए 179.2 एकड़ भूमि के अधिग्रहण के लिए कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड

(केआईएडीबी) को 3,252.11 लाख रूपये जमा कराए थे जिसे 2008–10 वर्ष के दौरान अग्रिम के रुप में लिया गया था। केआईएडीबी ने 138.57 एकड़ भूमि पहले ही सौंप दी है। जिसे केआईएडीबी द्वारा इंगित 21 लाख रुपये प्रति एकड़ की दर पर 2909 लाख रुपये की लागत पर कैपिटलाइज किया गया है इसमें विस्थापित परिवारों को दी गई राहत और पुनर्वास सहायता को शामिल करते हुए 342 लाख रुपये की बकाया राशि को जिसमें स्टांप शुल्क के रूप्य 34 लाख भी शामिल हैं, केआईएडीबी से अभी भी अर्जित बकाया भूमि के प्रति अग्रिम के रुप में माना जाए, जारी रखा गया है जिसे परियोजन के लिए पर्याप्त माना गया है ।

14.8 शेयर प्रमाण पत्रों पर स्टांप शुल्क का भुगतान करने के प्रबंधन के निर्णय के आधार पर, 2011–12 के दौरान समस्त प्राधिकृत शेयर पूंजी पर कुल रूपये 239 लाख का भुगतान किया गया। वर्ष के दौरान, प्रदत्त शेयर पूंजी के बराबर शेयर जारी किये गए हैं।

14.9 31.3.2012 को दिखाई गई शेयर पूंजी में मई 2010 में आवंटित 17,801 लाख रूपये और मई 2011 में आवंटित 47930 लाख रूपये शामिल हैं उपर्युक्त आवंटन के शेयर प्रमाण पत्र आवंटन की तिथि से 90 दिनों के भीतर जारी हो जाने चाहिए क्योंकि स्टांप शुल्क के भुगतान करने का निर्णय बोर्ड द्वारा 31 मार्च 2011 के बाद लिया गया था और बोर्ड अनुमोदन के अनुसार, समस्त प्राधिकृत पूंजी पर स्टांप शुल्क का भुगतान अक्टूबर 2011 में किया गया था। और उक्त दोनो आवंटनों के शेयर प्रमाण पत्र नवम्बर 2011 में जारी किए गए हैं। आवंटन के 90 दिनों के बाद शेयर प्रमाण पत्र जारी करने में देरी को माफी के लिए अप्रेल 2012 में कंपनी लॉ बोर्ड के साथ एक स्वैच्छिक याचिका दायर की गई है जो अभी भी लंबित है।

14.10 कंपनी भारत में विभिन्न स्थानों पर कच्चे तेल के लिए वेयरहाउसिंग सेवाएं प्रदान करने के विकल्प तलाश रही है। कंपनी 2011 में सेवा कर प्राधिकरण में पंजीकृत की गई और इसलिए सेनवेट क्रेडिट के लिए पात्र है। एक प्रमुख सलाहकार की राय के आधार पर, वर्ष के दौरान कंपनी ने रुपये 4,694 लाख की सेनवेट क्रेडिट रकम (31 मार्च 2010 तक रूपये 2,499 लाख को मिलाकर) क्रेडिट की थी। कंपनी ने दिनांक 31.3.2012 को रुपये 3,807 लाख की सेनवेट क्रेडिट योग्य रकम पुनः परिकलित की और खातों में दर्ज किया और रूपये 839 लाख की सेनवेट क्रेडिट रकम को खातों में रिर्वस किया। सेवा कर रिटर्न तदनुसार दायर कर दी गई हैं। दिनांक 01.03.2011 की अधिसूचना संख्या 3/2011 के बाद कंपनी ने परियोजनाओं की स्थापना के लिए निर्माण गतिविधियों हेतु अप्रैल 2011 से सेनवेट क्रेडिट का दावा करना बंद कर दिया है।

14.11 मंगलौर में फ्री ट्रेड वेयरहाउसिंग जोन (एफटीडब्ल्यूजैड) का को–डवलपर बनने का अनुमोदन वाणिज्य मंत्रालय द्वारा अगस्त 2010 में दिया गया। मंगलौर के लिए सभी अनुमोदन प्राप्त कर लिए गए हैं। पादुर के संबंध में, एफटीडब्ल्यूजैड बनाने का आवेदन अनुमोदनों के बोर्ड, वाणिज्य मंत्रालय द्वारा "सिद्धांत रूप में" स्वीकार कर लिया गया है।

14.12 नोट संख्या 5, "ठेकेदारों से रोक" में, विनिर्दिष्ट रुपये 5,900 लाख की प्रतिधारण राशि परिवर्तनीय मदों हेतु किए गए कार्य की कीमत के 5 प्रतिशत के प्रति है, जिसका भुगतान ठेकों के सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद किया जाएगा। प्रतिधारण राशि का लेखों में देय के अनुसार प्रावधान किया गया है।

14.13 31 मार्च 2014 को कंपनी का दैनिक कार्य प्रतिनियुक्ति पर तैनात 14 कार्मिकों एचपीसीएल (7), ओएनजीसी (3), आईओसीएल (1) और गेल (1), बीपीसीएल (1) और एमआरपीएल (1) द्वारा संभाला गया और उनके छुट्टी– वेतन, पेंशन अंशदान की अदायगी उनके दावों की प्राप्ति पर उनकी संबंधित पेरंट कंपनियों को आनुपातिक आधार पर की जाती है ।

14.14 अन्य कंपनियों से जिसमें कोई भी निदेशक एक निदेशक अथवा सदस्य है, देय रकम सहित प्राप्त होने वाले रोकड़ अथवा प्रकार अथवा मूल्य के प्रकार वसूली योग्य अग्रिम शून्य रूपये हैं (पूर्व वर्ष – शून्य रूपये)।

14.15 i) कंपनी ने वर्ष 2012–13 के दौरान 56.78 लाख रूपये की तुलना में 2013–14 के दौरान "स्वीप–इन–स्वीप आउट" लेखा में उपलब्ध बकायों से रूपये 97.38 लाख का ब्याज अर्जित किया है।

ii) मूल्य ह्रास वर्ष 2012–13 के दौरान रूपये 816.74 लाख की राशि की तुलना में 2013–14 के दौरान रूपये 431.45 लाख (जिसमें सभी तीनों परियोजनाओं हेतु पट्टाधृत भूमि पर अमोरटाइजेशन शमिल है) को लाभ व हानि विवरण में चार्ज किया है।

14.16 एचसीसी को दिये गऐ 1500 लाख अग्रिम दीर्घकालिक ऋण और पेशगी के रूप में पुनःसमूहीकरण कर दिया गया है।

14.17 मंगलौर और पादुर के लिए खरीदी गई पाइपलाइन प्रत्येक प्रोजेक्ट के लिए निर्धारित कर ली गई है और पादुर के लिए 7774 लाख एवं मंगलौर के लिए 4529 लाख की लागू लागत को संबंधित परियोजनाओं के अधीन कर दिया गया है।

14.18 लेखा मानकों – 10 के अधीन, कम्पनी ने ब्याज से प्राप्त राजस्व और रॉक निपटान की बिक्री से प्राप्त आय को चालू कार्य पूंजी से कम करने की नीति का लगातार पालन किया है। वर्ष के दौरान, 591 लाख रूपये की राशि ब्याज से तथा रॉक बिक्री से 43.02 लाख रूपये की प्राप्ति हुई।

वर्ष 2008–09 से 2013–14 तक, चालू कार्य पूंजी से घटाई गई ब्याज तथा रॉक बिक्री प्राप्तियों की कुल राशि 1348 लाख रूपये है। वार्षिक क्रम में विवरण नीचे दिया गया है :–

(i) वित्तिय वर्ष 2008–09 प्राप्त ब्याज तथा रॉक बिक्री से आगम क्रमशः रूपये 1 लाख तथा रूपये शून्य था

(ii) वित्तिय वर्ष 2009–10 प्राप्त ब्याज तथा रॉक बिक्री से आगम क्रमशः रूपये शून्य तथा रूपये शून्य था

(iii) वित्तिय वर्ष 2010–11 प्राप्त ब्याज तथा रॉक बिक्री से आगम क्रमशः रूपये 4.48 लाख तथा रूपये शून्य था

(iv) वित्तिय वर्ष 2011–12 प्राप्त ब्याज तथा रॉक बिक्री से आगम क्रमशः रूपये 62.67 लाख तथा रूपये शून्य था

(v) वित्तिय वर्ष 2012–13 प्राप्त ब्याज तथा रॉक बिक्री से आगम क्रमशः रूपये 603.62 लाख तथा रूपये 42.17 लाख था

14.19 आस्थगित कर

कर योग्य आय की अनुपस्थिति में आयकर के लिए प्रावधान रखना आवश्यक नहीं समझा गया है। इसके आगे, आस्थगित कर संपत्ति भी मान्य नहीं की गई क्योंकि ठोस सबूत के साथ कोई आभासी निश्चितता नहीं है जिससे पर्याप्त भविष्य की आय उपलब्ध होगी जिसे आस्थगित कर संपत्ति में समायोजित किया जा सके।

14.20 सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को देय शून्य निर्धारित किया गया है और 'सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006' के मामले में ऐसी पार्टियों की इस हद तक पहचान की गई है जो 2 अक्टूबर, 2006 से प्रभावी हुआ है। कंपनी ने ऐसे उद्यमों/सप्लायर्स को लिखा है और उनके सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम होने के बारे में उनके सप्लायर्स से अभी तक कोई पुष्टि प्राप्त नहीं हुई है। कंपनी के सप्लायर्स प्रोफाईल को देखने से इस मामले में देयता शून्य/नगण्य है।

14.21 लघु औद्योगिक उपक्रमों को दी जाने वाली देय राशि कुछ भी नहीं है। ठेकेदारों/सेवा प्रदान करने वालों के खातें, चाहें डेबिट हो अथवा क्रेडिट, पुष्टि, समाधान और उनके परिणामी समायोजन, यदि कोई हैं, का विषय है।

14.22 कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 292 ए के तहत कंपनी ने निम्नलिखित संरचना के साथ लेखा परीक्षा समिति गठित की है:

श्री राजीव कुमार, अतिरिक्त सचिव, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	...	अध्यक्ष
श्री एल. एन. गुप्ता, सचिव, ओआईडीबी	...	सदस्य
श्री आर. के. सिंह, संयुक्त सचिव (आर), पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	...	सदस्य

14.23 ठेकेदारों के बकाए पुष्टि के अधीन हैं।

नोट 15 : लेखांकन मानकों के तहत खुलासे

नोट	विवरण	
15.1	**संबंधित पार्टी लेनदेन**	
15.1 ए	**संबंधित पार्टियों के ब्यौरेः**	
	रिश्ते का विवरण	**संबंधित पार्टियों के नाम**
	होल्डिंग संगठन	तेल उद्योग विकास बोर्ड (ओआईडीबी) कंपनी में 100% इक्विटी होल्ड करती है।
	प्रमुख प्रबंधन कर्मी (केएमपी)	श्री राजन के. पिल्लै, सीईओ। सीईओ को कंपनी के संस्था के अंतर्नियम के अधीन आईएसपीआरएल के दैनिक प्रबंधन कार्य सौंपे गए है। वह 30.11.2013 को एचपीसीएल से सेवानिवृत हुए। उन्हे 25.2.2014 से एमडी के रूप में शामिल किया गया है। **निदेशक मंडल (पदेन)** श्री विवेक रे, अध्यक्ष (28.02.2014 तक) श्री सौरभ चन्द्र, अध्यक्ष (07.03.2014 से) श्री राजीव कुमार, निदेशक (17.08.2013 से) श्री सुभाष खुंटिआ, निदेशक श्री आर के सिंह, निदेशक (15.07.2013 से) श्री एल. एन. गुप्ता, निदेशक–प्रभारी (29.07.2013 से 24.02.2014 तक) श्री एल. एन. गुप्ता, निदेशक (17.06.2013 से) श्री सुधीर भार्गव, निदेशक (03.06.2013 तक) श्री वी. एल.वी.एस.एस.सुब्बा राव, निदेशक (09.06.2013 तक)

15.1.बी 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के दौरान संबंधित पार्टी लेनदेन से ब्यौरे और 31 मार्च, 2014 को बकाया शेष :

विवरण	होल्डिंग संगठन (ओआईडीबी)	केएमपी (सीईओ)	योग
	₹	₹	₹
वित्त (ऋण और नकद या प्रकार में इक्विटी योगदान	4,827,313,451 (3,743,904,367)		4,827,313,451 (3,743,904,367)
* कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति सहित प्रबंधन ठेके		3,910,857 (3,237,609)	3,910,857 (3,237,609)
नोटः कोष्ठक में दिए गए आंकड़े पूर्व वर्ष के हैं।			

15.1.सी निदेशक मंडल पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नियुक्त किया गया है। निदेशक मंडल का पारिश्रमिक शून्य है (पूर्व वर्ष – शून्य)

15.1.डी संबंधित पार्टियों का शेष बकाया/लेनदेन

विवरण	तेल उद्योग विकास बोर्ड		हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि. *	
	31.03.2014 को समाप्त वर्ष	31.03.2013 को समाप्त वर्ष	31.03.2014 को समाप्त वर्ष	31.03.2013 को समाप्त वर्ष
	₹	₹	₹	₹
i) वर्ष के दौरान लेनदेन				
कंपनी की ओर से किए गए खर्चे	1,566,744	1,804,367	22,065,601	15,595,808
ii) वर्ष के अंत में बकाया	4,825,746,707	3,742,100,000	-	3,317,092
योग	**4,827,313,451**	**3,743,904,367**	**22,065,601**	**20,087,391**

* प्रतिनियुक्ति पर आए केएमपी (सीईओ) के वेतन की प्रतिपूर्ति एचपीसीएल को की जाए।

नोट 15 : लेखांकन मानकों के तहत खुलासे (निरंतर)

विवरण	31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लिए
	₹	₹
15.3 आय प्रति शेयर		
15.3 ए <u>मूलभूत</u>		
(हानि) वर्ष में इक्विटी शेयरधारकों को होने वाली	(50,185,341)	(88,499,899)
बकाया इक्विटी शेयरों की संख्या	2,397,000,000	1,969,268,020
सम मूल्य प्रति शेयर	10	10
लगातार प्रचालनों से प्रति शेयर हानि – मूल	(0.02)	(0.04)
15.3 बी <u>मिश्रित</u>		
(हानि) वर्ष में इक्विटी शेयरधारकों को होने वाली	(50,185,341)	(88,499,899)
बकाया इक्विटी शेयरों की संख्या – मिश्रित हेतु	2,879,574,671	2,343,478,020
सम मूल्य प्रति शेयर	10	10
लगातार प्रचालनों से प्रति शेयर हानि – मिश्रित	(0.02)	(0.04)

31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण

विवरण	31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिए	
	₹	₹	₹	₹
ए. प्रचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह				
(हानि) असाधरण मदों और कर से पूर्वः	(50,185,341)		(88,499,899)	
निम्नलिखित के लिए समायोजन :				
मूल्य ह्रास और परिशोधन	43,145,270		81,665,629	
वर्ष के दौरान समाप्त अचल परिसंपत्तियां	–		3,605,668	
वर्तमान देनदारियों में वृद्धि	505,908,951		(18,426,080)	
कार्य पूंजी परिवर्तनों से पूर्व प्रचालन (हानि)		498,868,880		(21,654,682)
शुद्ध नकद (प्रयोग में) प्रचालन गतिविधियां (ए)		**498,868,880**		**(21,654,682)**
बी. निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह				
अचल परिसंपत्तियों में वृद्धि	(768,734)		(1,490,110)	
कार्य पूंजी प्रगति में वृद्धि	(5,651,395,357)		(8,032,306,067)	
तीसरे पक्ष को दिए गए अग्रिम/ऋण	96,714,125		(54,489,120)	
		(5,555,449,966)		(8,088,285,297)
शुद्ध नकद (प्रयोग में) निवेश गतिविधियां (बी)		**(5,555,449,966)**		**(8,088,285,297)**
सी. वित्तीय गतिविधयों से नकदी प्रवाह				
इक्विटी शेयरों को जारी करने से प्राप्ति	5,210,966,507		8,113,600,000	
		5,210,966,507		8,113,600,000
वित्तीय गतिविधियों से शुद्ध नकदी प्रवाह (सी)		**5,210,966,507**		**8,113,600,000**
नकद और नकद समतुल्य में शुद्ध वृद्धि (ए+बी+सी)		154,385,421		3,660,021
वर्ष के प्रारंभ में नकदी और नकदी के समतुल्य		89,613,439		85,953,418
वर्ष के अंत में नकदी और नकदी के समतुल्य		**243,998,860**		**89,613,439**

संलग्न हमारी रिपोर्ट के संदर्भ में

कृते जेडीए एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएन 015377एन

ह0/–
(सी ए नितिन अग्रवाल)
साझेदार
एम नं. 506909

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 13 अगस्त, 2014

निदेशक मंडल के लिए तथा उनकी ओर से

ह0/–
(आर. के. सिंह)
निदेशक
(डीआईएन 05193269)

ह0/–
(एल. एन. गुप्ता)
निदेशक
(डीआईएन 01872190)

ह0/–
(एस. आर. हास्यागर)
मुख्य वित्त अधिकारी

ह0/–
(राजन के. पिल्लै)
सीईओ एवं एमडी
(डीआईएन 06799503)

ह0/–
(भाव्या गुप्ता)
कम्पनी सचिव